न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री बी.एल.कोठारी
आई.ए.एस

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1.भगवाना पुत्र भीया जाति मेघवाल 2.रेशमा वेवा गोमा, जाति मेघवाल 3.स्व.गेना पुत्र लाला के कायम मुकाम:- 3/1 सेंधाराम पुत्र गेनाराम 3/2 रूगनाथ पुत्र गेनाराम 3/3 नागजीराम पुत्र गेनाराम 3/4 अजोती बेवा गेनाराम 4.स्व किस्तुरा पुत्र हेमा के कायम मुकाम:- 4/1 ओखाराम पुत्र किस्तुरा 4/2 प्रभाराम पुत्र किस्तुरा 4/3 धन्नाराम पुत्र किस्तुरा 4/4 केसाराम पुत्र किस्तुरा 4/5 रायचंद पुत्र किस्तुरा 4/6 सतीदेवी बेवा किस्तुरा 5.हरिया उर्फ हराराम पुत्र गोमा समस्त जाति मेघवाल निवासीगण पहाडपुरा तहसील साचौर जिला जालोर		1.लुम्बाराम पुत्र अचलाजी 2.जोरा पुत्र भला जाति ब्रहामण निवासी पहाडपुरा तहसील साचौर जिला जालोर 3.गणेशा पुत्र भला जाति रेबारी निवासी पहाडपुरा तहसील साचौर जिला जालोर 4.तहसीलदार साचौर

प्रकरण संख्या अपील 28/2017

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

....

पक्षकारान:-

1-श्री शंभूदान आशिया, अभिभाषक अपीलान्टस

2-श्री चिरंजीलाल गहलोत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3

3-श्री छोटूसिंह सरकारी वकील

निर्णय

दिनांक:-06.06.2018

1. अपीलान्टस के वकील ने यह अपील तहसीलदार सांचोर के आदेश दिनांक 15.12.1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।जो प्रकरण संख्या 02/1998 अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 शीर्षक लुभ्भाराम पुत्र अचलाजी जाति ब्राहमण निवासी पहाडपुरा बनाम जोरा पुत्र भला रेबारी वगैराह निवासी पहाडपुरा में पारित किया गया है।

2. अपीलान्टस के अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई ।

3. अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि रेस्पोडैन्ट संख्या 1 लुम्बाराम ने तहसील सांचोर को अर्न्तगत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर कथन किया कि उसके खातेदारी के खेत सरहद मौजा पहाडपुरा तहसील सांचोर में खसरा नंबर 147 व 147/1 आए हुए है। ग्राम पहाडपुरा में जाने के लिए उसे खसरा नंकर 145,144,128 व 129 मे से होकर गुजरना पडता है व गोचर खसरा नंबर 161 मे होते हुये पहाडपुरा ग्राम में प्रवेश करता है।अपीलांट व रेस्पोडैन्ट संख्या 2 व 3 ने रास्ते को रोक दिया है।जिसे खुलवाया जावे। इस प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा स्व.गेना व किस्तुरा को नोटिस जारी कर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 129 मे से 0.02 हे.,128 मे से 0.04 हें.,144 मे से 0.05 हे.,145 मे से 0.02 हे. भूमि कम कर सार्वजनिक रास्ते हेतु आरक्षित करने का आदेश दिया तथा पटवारी को उक्त भूमि रास्ता हेतु सिवाय चक दर्ज कर तकमीना अनुसार भूमि तरमीम की स्वीकृति हेतु पत्रावली उप जिलाधीश भीनमाल को भेजने का आदेश दिया।जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीाधीन आदेश विधी विधान के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधीवत तामील करवाये बिना व धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किय है।धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत केवल बंद रास्ते को खुलवाया जा सकता है। परंतु इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की खातेदारी भूमि को बिना मुआवजा कम करने का आदेश दिया है जो विधी सम्मत नही है। रेस्पोडैन्ट संख्या 1

201/—

की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 147 पर पहुंचने के हेतु नजदीक में खसरा नंबर 149 से लगता खसरा नंबर 160 आम रास्ता मौजूद होते हुये भी नया रास्त निकालने का आदेश देकर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी एवं वाक्यिाती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेकर्ड के अनुसार खसरा नंबर 128 व 129 खातेदार गेना व रेशमा के अलावा नानजी पुत्र रामसी,हरीया पुत्र गोमा भी है। परंतु इनको पक्षकार बनाये बिना, इनकी खातेदारी भूमि मे से रास्ता निकालने का आदेश पारित किया ,जो प्रथम दृष्टया अवैध व निरस्तनीय है। खसरा नंबर 129 में रहवासी ढाणी है। अपीलांट संख्या 5 हरीया उर्फ हराराम खसरा नंबर 128 व 129 का रेकर्डेड खातेदार है। परंतु उसे इस प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना, अपीलांट को सुनवाई का मौकास दिये बिना उसकी खातेदारी कम कर दी, जो निरस्त योग्य है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहसीलदार अवरूद्ध रास्ते को खुलवा सकते है। तहसीलदार ने रेस्पोडैन्ट संख्या 1 खेत में नजदीकी रास्ता उपलब्ध होते हुये दूर तक गोचर में जाने हेतु नया रास्ता निकाल कर तरमीम करने का आदेश दिया है। जो विधी के विरूद्ध है फिर पत्रावली उक्त रास्ता तरमीम आदेश 15.12.1998 की स्वीकृति हेतु उप जिलाधीश को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।जो विधी विरूद्ध है। उप जिलाधीश सांचोर द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अस पत्रावली पर मुकदमा संख्या 16/99(7/99) लुम्बाराम बनाम जोरा आदि दिनांक 22.03.1999 दर्ज कर पक्षकारो को सुने बिना दिनांक 01.0701999 को रास्ता कायम करने हेतु दुरस्ती तहरीर जारी कर दी। ऐसी अधिकारिता विहीन कार्यवाही व पारित आदेश निरस्त योग्य है। खातेदार गेना व किस्तुरा की मृत्यु हो गई है। जिनके वारिशान 3 व 4 है। अप्रार्थी जोरा व गणेशा साथ न आने के कारण रेस्पोडेन्ट बनाया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी। पटवारी हल्का द्वारा यह बताने पर कि रास्ता खसरा नंबर 129 मे से तुम्हारी ढाणी गिराई जायेगी क्योकि यह धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही कर रास्ता निकालना है। तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अत: अपीलांटस की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त करावे। अपीलांटस के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में डी एन जे 2013 पेज 39, आर आर डी 14.07.2015 पेज 376 के दृष्टान्त प्रस्तुत किये।जिनका अवलोकन किया गया।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस में तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में आदेश 20 वर्ष पुराना है। जिस आधार पर उक्त अपील मियाद बाहर है। जिससे अपील मियाद बाहर होने से अपीलांट की अपील प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे। दिनांक 07.081998 को अपीलांट हाजिर हुये थे। आदेशिका पर अपीलांट भगवनान, रेशमा व गेना के हस्ताक्षर है। जिससे जानकारी अपीलांटगण को 07.08. 1998 को हो चुकी थी तथा अन्य अपीलांट के नोटिस उनके मकान पर चस्पा किये गये थे लेकिन हाजिर नहीं हुये। जिस कारण से अपीलांट संख्या 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अत: अपीलांटस की अपील मियाद बाहर होने से अपीलांट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 14.06.2012 पेज 383 का दृष्टान्त प्रस्तुत किया। जिनका अवलोकन किया गया।

5. सरकारी वकील ने भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की बहस का समर्थन किया।

6. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद सुनवाई के अपीलांटस की अपील न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार सांचोर के प्रकरण संख्या 02/1998 अनवान लुभ्भाराम पुत्र अचलाजी ब्राहमण साकिन पहाडपुरा वगैराह बनाम जोरा पुत्र भला रेबारी वगैराह साकिन पहाडपुरा वगैराह में अर्न्तगत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय दिनांक 15.12.1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार तहसीलदार सांचोर द्वारा पारित आदेश में लुम्बाराम पुत्र अचला ब्राहमण ने स्वंय के खातेदारी खेत मौजा पहाडपुरा के खसरा नंबर 147 क्षेत्रफल 1.28 हे., 147/734 क्षेत्रफल 0.01 हे. में आने जाने हेतु खेत खसरा नंबर 145, 144, 128, 129, तथा गोचर खसरा नंबर 161 में से होकर गुजराना पडता है। इसके अलवा कोई रास्ता नहीं होने से समस्या बनी हुई है। अप्रार्थी जोरा पुत्र भला रबारी वगैराह ने रास्ता रोक देने से ग्राम पंचायत गोलासण को दिनांक 10.05.1998, को उक्त रास्ता खुलाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। ग्राम पंचायत गोलासण ने दिनांक 29.06.1998 को अप्रार्थी टंटाखोर होने से कार्यवाही करने में असमर्थता जाहिर करने पर प्रार्थी लुभ्भाराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर संबंधित पक्षकारो को तलब किया जाकर बाद पटवारी की जांच अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे से रास्ता दिये जाने पर क्षेत्रफल व लगान की तकमीना अनुसार कमी होगी। अप्रार्थी के खसरा नंबर 129 128,144 व 145 कुल क्षेत्रफल 0.13 हेक्टर भूमि कम कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 के तहत आवागमन की सुविधा हेतु आरक्षित की गई। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का को उक्त भूमि रास्ता हेतु सिवाय चक दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया तथा रास्ता की भूमि की तरमीम कर स्वीकृति लेने हेतु पत्रावली उप जिलाधीश भीनमाल को प्रस्तुत किये जाने के आदेश पारित किया गया। इस प्रकार प्रकरण पूर्व में प्रचलित रास्ते को खुलाने का नहीं अपितु नवीन रास्ता कायम के संबंध में है। अपीलांटन्स के विद्वान वकील द्वारा न्यायिक दृष्टान्त जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अर्न्तगत नवीन रास्ता कायम करने का अधिकार नहीं है। अपितु पूर्व में प्रचलित रास्ते को किसी व्यक्ति द्वारा बंद कर दिये जाने पर उसे वापिस खुलाने के अधिकार

Sd/-

है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में वास्तविक रूप से उपयोग में आ रहे रास्ते को बंद कर देने अथवा व्यवधान डालने पर ऐसे व्यवधान को हटाने तथा पूर्व में प्रचलित रास्ते को खुलवाने के संबध में तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में शक्तियां प्राप्त है नवीन रास्ता कायम करने का प्रावधान नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त इस प्रकरण के इस प्रकरण के तथ्यो से भिन्न होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण पर लागू नहीं होते है।

उपरोक्त विवेचना अनुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांचोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.1998 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के प्रावधानो के विपरीत है। अत: अपीलांटस की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांचोर द्वारा पारित उक्त आदेश निरस्त किया जाता है। इस आदेश के पश्चावर्ती कार्यवाही उपखंड अधिकारी भीनमाल द्वारा की गई है,के संबंध में सक्षम न्यायालय में पक्षकार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

sd/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय दिनांक 06.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

sd/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर